न्यायालय कलेक्टर(शेखर वर्मा) जिला अलीराजपुर (म.प्र)

प्रकरण कमांक 17/बी–121/2015–16

आदेश

(आज दिनांक 13/1/ 2016 को पारित किया गया)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अलीराजपुर के माध्यम से तहसीलदार अलीराजपुर का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त प्रकरण का अवलोकन किया गया। दिनांक 22.10.2015 को कृषक चमसिंह पिता रतनिया जाति भील उम्र 15 वर्ष निवासी बिलवट तहसील अलीराजपुर सुक्कड नदी पर विघुत पंप से सिंचाई के दौरान विघुत करंट लगने से मृत्यु हो गई है । मृतक के वारिशान में उसके पिता श्री रतनिया पिता बुधिया जाति भील निवासी बिलवट के नाम से आर्थिक अनुदान राशि रूपये 1,00,000–00/–(एक लाख रुपये मात्र) स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है ।

अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के अभिमत अनुसार मृतक के निकटतम वारिशान में उसके पिता श्री रतनिया पिता बुधिया जाति भील निवासी बिलवट को मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के अन्तर्गत कण्डिका– 2 (1) के तहत् आर्थिक अनुदान राशि रूपये 1,00,000–00/–(एक लाख रुपये मात्र)स्वीकृत किये जाते है तथा म.प्र कृषि उपज मण्डी (राज्य विपणन विकास निधि) नियम 2000, नियम 7 एवं संशोधित आदेश कमांक /बोर्ड/योजना/गै.त. /मृ.कृ.जी.क.यो./2171/भोपाल दिनांक 06.9.2012 के विहित प्रावधानों अन्तर्गत कृषि अनुसंधान तथा अधोसंरचना विकास निधि से आर्थिक अनुदान राशि रूपये 1,00,000–00/–(एक लाख रुपये मात्र) आहरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

अनुदान राशि पीड़ित व्यक्ति को तत्काल वितरण की जावे ।

(शेखर वर्मा)
कलेक्टर
जिला अलीराजपुर

पृ0क/ 35 /रीडर/20116 अलीराजपुर दिनांक 13/1/2016

प्रतिलिपि:– (आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ)

1 प्रबंधक संचालक म.प्र कृषि विपणन बोर्ड, 26 अरेरा हिल्स, जेल रोड भोपाल
2 प्रभारी अधिकारी (वित्त–2/राहत शाखा)जिला अलीराजपुर।
3 उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला अलीराजपुर ।
4 सहायक जन सम्पर्क अधिकारी जिला अलीराजपुर ।
5 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अलीराजपुर ।
6 तहसीलदार अलीराजपुर ।
7 सचिव कृषि उपज मंडी अलीराजपुर ।
8 संबंधित (आवेदिका) श्री रतनिया पिता बुधिया जाति भील निवासी बिलवट तहसील अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ ।

कलेक्टर
जिला अलीराजपुर